

प्रधानाचार्य,

समस्त राजकीय एवं निजी पॉलीटेक्निक,

संस्थान कोड संख्या _____

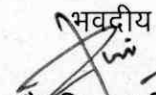
विषय:- अंको की पुनः गणना की तिथियों के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- परीक्षा परिणाम तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर मई-2012 स्पेशल

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर मई-2012 स्पेशल का परीक्षा परिणाम दिनांक 25.02.13 को घोषित हो चुका है। अंको की पुनः गणना के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें-

1. पुनः गणना सम्बन्धी प्रपत्रों का प्रारूप मण्डल की वेब साईट <http://techedu.rajasthan.gov.in> पर (BTER ⇨ Re-Totalling) पर Excel Sheet में उपलब्ध है। प्रारूप मण्डल की वेब साईट से डाउनलोड करें।
2. छात्र केवल अधिकतम दो सैद्धांतिक विषयों में ही अंको की पुनः गणना करवा सकता है सेशनल एवं प्रैक्टिकल विषयों में पुनः गणना करवाने का प्रावधान नहीं है।
3. पुनः गणना का शुल्क प्रति विषय रुपये 100/- निर्धारित है। सभी विद्यार्थियों का शुल्क डी. डी. (निजी महाविद्यालय) अथवा चालान की मूल प्रति (राजकीय महाविद्यालय) के माध्यम से एक साथ ही निर्धारित तिथि तक मण्डल में पहुँच जाने चाहिए। डीडी/चालान तैयार करवाने की अंतिम तिथि 13.03.13 हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात के चालान/डीडी स्वीकार्य नहीं होंगे एवं इस हेतु पुनः गणना का कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान प्रधान की होगी।
4. यदि कोई विद्यार्थी दो से अधिक विषयों में पुनः गणना का आवेदन पत्र भर देता है तथा शुल्क भी जमा करवा देता है तो मण्डल अपने स्तर पर किन्हीं दो विषयों के अंको की पुनः गणना करेगा तथा छात्र का शुल्क न तो समायोजित किया जायेगा और ना ही लौटाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधानाचार्य की होगी।
5. इन आवेदन पत्रों का पूर्ण ब्यौरा Excel Sheet में सॉफ्ट कोपी (CD) एवं हार्ड कोपी मय परिशिष्ट (प्रिन्ट आउट) निर्धारित तिथि तक आवश्यक व्यक्तिगत रूप से मण्डल में भिजवावें।
6. परीक्षार्थियों से प्राप्त मूल आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान अपनी संस्थान में ही सुरक्षित रखावें।
7. घोषित परिणाम के परीक्षार्थियों के लिए अंको की पुनः गणना के आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 11.03.13 है तथा सॉफ्ट कोपी (CD) एवं हार्ड कोपी (प्रिन्ट आउट) मण्डल में दिनांक 14.03.13 तक आवश्यक व्यक्तिगत रूप से पहुँचाना सुनिश्चित करावें।
8. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान प्रधानाचार्य की होगी।
9. उपरोक्त आवेदन पत्र, परिशिष्ट व सीडी व चालान/डीडी संस्थान के प्रतिनिधि के माध्यम से ही मंडल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दिनांक 14.03.13 तक प्रस्तुत करावें।

भवदीय

शैक्षणिक अधिकारी

नोट :- निर्धारित तिथि 14.03.13 तक पुनः गणना संबंधित प्रपत्र/सी.डी./चालान/परिशिष्ट मय हार्ड कॉपी के मण्डल कार्यालय को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन संबंधित परीक्षार्थियों के लिए आवेदित विषय में अंकों की पुनः गणना का कार्य नहीं किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधानाचार्य की होगी।

चैक लिस्ट :- 1. सी.डी.(सॉफ्ट कॉपी) मय प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित इसकी मूल हार्ड कॉपी।
2. डी.डी. /चालान (मूल कॉपी)
3. Retotalling Forwarding Letter to bter.